

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7(1)परि/नियम/मु./2010/4118

जयपुर, दिनांक : 26/6/12

कार्यालय आदेश 11.../2012


विषय :- कार्यालय आदेश संख्या 06/2011 दिनांक 16.05.2011 में संशोधन।

केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 24 से 31ए के प्रयोजनार्थ अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी, परिवहन आयुक्त होने के कारण पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश संख्या 6/2011 दिनांक 16.05.2011 में तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

(1) बिन्दु संख्या 3 के खण्ड (e) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेगा :-

“(e) भारी वाहन प्रशिक्षण हेतु अथवा नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पर, चैक लिस्ट अनुसार स्वयं अनुज्ञप्ति अधिकारी (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी) द्वारा जांच की जाकर, पूर्ण संतुष्टि के बाद खण्ड संख्या (d) के अनुसार लाईसेंस जारी/नवीनीकरण किया जावेगा।


(2) आदेश के साथ संलग्न चैक लिस्ट के अंत में “हस्ताक्षर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी” के स्थान पर, “हस्ताक्षर, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी” प्रतिस्थापित किया जावेगा।”


परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ 7(1)परि/नियम/मु./2010/4119 — 4125
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक : 26/6/12

1. विशिष्ट सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/अति0 प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
5. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।
6. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)